

भारत सरकार

खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो

क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय

माखपुरा औद्योगिक क्षेत्र अजमेर 305002

ई-मेल: [ro.ajmer@ibm.gov.in](mailto:ro.ajmer@ibm.gov.in)

सं०-राज/जैसल -7/सि.अ.-1

Government of India

Ministry of Mines

Indian Bureau of Mines

Office of the Regional Controller of Mines.

Makhapura Industrial Area, Ajmer -305002

Ph-145-2695165 / 2695476 Fax--2695202

दिनांक. 27-03-2018

प्रेषित मै सीमा मिनरन्स एण्ड मेटल्स  
203- ए मेवाड ईण्डस्ट्रीयल एरिया  
रोड न. 11/फ, मादडी  
उदयपुर 313 003(राजस्थान)

विषय: राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में स्थित आपकी कपूरिया सिलिसियस अर्थ खान क्षेत्रफल 48.7 हैक्टेयर (एम एल संख्या 01/2001) में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का दिनांक 17.02.2018 को श्री चेतन प्रकाश, सहायक खनन भूविज्ञानी के द्वारा किये गये निरीक्षण में यह पाया गया है कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
11(2)	The mining operation are not carried out in accordance with the approved Review of Mining plan approved vide letter no 584(4)(3)(1689)/2017-RCM-AJM, dated 19-5-2017 to the extent indicated below:- (1) As per para 2.0 A (a) of Mining chapter of approved Review of Mining plan, it is proposed to Maintained bench height of 6m & bench width of 6m in Mineral. But it is observed during inspection that proposed benches have not been maintained.
नियम 55 (i) (सी)	आपकी उपरोक्त खान में नियमानुसार पूर्णकालिक खनन अभियन्ता एवं भूवैज्ञानिक की नियुक्ती नहीं की गई है।

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान पुनः आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत  
(क) खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।  
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(एच सी शर्मा)  
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

- 1) खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर।
- 2) निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
- 3) गार्ड फाईल

(एच सी शर्मा)  
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो